अध्याय II

एसएसआई इकाइयों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूटें

2. प्रस्तावना

2.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में लघु उद्योगों को छूट

एसएसआई यूनिटें दिनांक 1 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. 8/2003 (समय समय पर यथा संशोधित) के तहत शासित होती हैं। निवेश पर ध्यान दिए बिना एक यूनिट जिसकी निकासी का कुल मूल्य पिछले वर्ष में ₹ 4.00 करोड़ से कम था वह ₹ 1.50 करोड़ तक की शुल्क छूट का हकदार है बशर्ते कि वह इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं लेता और शुल्क के भुगतान के लिए पूंजीगत माल के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग नहीं करता है और विनिर्मित माल अधिसूचना के तहत कवर होना चाहिए।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने विषयक अध्ययन निम्नलिखित के माध्यम से यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया था कि अप्रत्यक्ष कर प्रशासन लघु उद्योगों से संबंधित राजस्व के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है:

क) नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, नियम-पुस्तिकाओं और सांविधिक प्रावधानों के साथ पठित अन्य निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता की जांच ताकि यह सुनिश्चित हो कि सरकार को देय राजस्व वास्तव में अदेय विलम्ब के बिना समेकित निधि में पहुंच रहा है।

ख) क्या ये प्रावधान एसएसआई को छूट देने में सरकार के आशय/उद्देश्य को प्रोत्साहन देने में मदद कर रहे हैं, और

ग) एसएसआई यूनिटों की विवरणियों की प्राप्ति और जांच, धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने और कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के दुरूपयोग और जारी करना और अविलम्ब अधिनिर्णय हेतु विभाग में निगरानी तंत्र की पर्याप्तता का मूल्यांकन |

2.3 कार्यक्षेत्र और कवरेज

लेखापरीक्षा करने के लिए, हमने 33 चयनित कमिश्नरियों, 64 डिविजनों और 134 रेंजों के अभिलेखो की जांच की। हमने प्रत्येक रेंज में न्यूनतम 20 ईआर-3 विवरणियों की जांच की।

अध्ययन में कवर की गई अवधि 2011-12 से 2013-14 थी। तथापि, शामिल मामलों पर निर्भर करते हुए, अध्ययन को पिछले वर्षों को कवर करने के लिए, जहां भी आवश्यक समझा गया, विस्तारित किया गया।

2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने शुल्क के गैर भुगतान/कम भुगतान, सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग इत्यादि के मामले पाए जिनमें ₹ 9.70 करोड़ का राजस्व शामिल था । विभाग ने ₹ 3.34 करोड़ के राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (मार्च 2015) और ₹ 1.66 करोड़ की वसूली की।

2.5 परित्यक्त और संग्रहित राजस्व

चयनित रेंजों में पिछले तीन वर्षों के दौरान एसएसआई यूनिटों के संबंध में संग्रहित और परित्यक्त शुल्क को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रेंजो में निर्धारितियों की संख्या	रेंजों में पंजीकृत एसएसआई यूनिटों की संख्या	छूट प्राप्त करने वाली एसएसआई यूनिटों की संख्या	परित्यक्त शुल्क	एसएसआई यूनिटों के रूप में पंजीकृत सभी यूनिटों द्वारा प्रदत्त शुल्क		पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त सीई शुल्क
					सेनवेट	पीएलए	
2011-12	12,406	5,483	2,355	275.92	419.47	253.76	165.30
2012-13	13,569	5,891	2,565	345.83	520.59	351.65	148.04
2013-14	14,834	6,232	2,739	370.63	611.22	393.57	155.30

उपरोक्त डाटा दर्शाता है कि चयनित रेंजों में एसएसआई यूनिटों के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के 50 प्रतिशत से भी कम वास्तव में एसएसआई छूट का लाभ ले रहे थे। यह देखा गया कि एसएसआई छूट के लिए पात्रता पिछली बार 1 अप्रैल 2005 को पिछले वर्ष के ₹ तीन करोड़ के टर्नओवर से ₹ चार करोड़ संशोधित की गई थी और एसएसआई छूट सीमा पिछली बार 1 अप्रैल 2007 को ₹ एक करोड़ से ₹ 1.5 करोड़ तक की पिछली क्लीयरेंस पर संशोधित की गई थी।

आगे यह देखा गया कि मध्यवर्ती माल के एसएसआई विनिर्माताओं को इस योजना से लाभ नहीं मिला। चूंकि मौजूदा सेनवेट क्रेडिट योजना के तहत,

विनिर्माता जो अपनी क्लीयरेंस पर शुल्क का भुगतान करता है वह खरीदे गए इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट लेने और उपयोग करने का पात्र है, जबकि एसएसआई विनिर्माता अपने इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकता जिससे उसकी विर्निर्माण लागत में वृद्धि होती है। माल की बिक्री दर्शाता एक निदर्शी उदाहरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.2

चरण प्रथम विनिर्माता	इनपुट लागत	शुल्क	सेनवेट क्रेडिट	प्रभावी इनपुट लागत	मूल्य सवंर्धन	बिक्री मूल्य	शुल्क	प्रभावी बिक्री मूल्य
एसएसआई यूनिट	100	10	0	110	20	130	0	130
गैर एसएसआई	100	10	10	100	20	120	12	132

चरण द्वितीय विनिर्माता	इनपुट लागत	सेनवेट क्रेडिट	प्रभावी इनपुट लागत
एसएसआई यूनिट	130	0	130
गैर एसएसआई	132	12	120

यह देखा गया कि एसएसआई यूनिट का प्रभावी बिक्री मूल्य गैर एसएसआई यूनिट से कम है, यदि माल उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। किन्तु यदि एसएसआई यूनिटें अपना माल दूसरे विनिर्माता को बेच रही हैं तो दूसरे चरण के विनिर्माता के लिए प्रभावी इनपुट लागत, सेनवेट क्रेडिट की उनुपलब्धता के कारण महंगी हो जाती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2015) कि यह सीमा के आधार पर छूट का सामान्य विपथन है। लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय विपथन पर ध्यान देने के लिए कदम उठा सकता है।

2.6 निगरानी तंत्र की अपर्याप्तता

2.6.1 एसएसआई यूनिटों द्वारा गैर- पंजीकरण और अनुलग्नक-4 में घोषणा का जमा न करना

क) यूनिट जो एसएसआई लाभ ले रही है, को ₹ 1.50 करोड़ के निकासी के मूल्य की विशिष्ट छूट सीमा को पार करने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण करना होता है।

वाणिज्यिक कर विभाग को फार्म 13 में प्रस्तुत वार्षिक विनिर्माण लेखों के ब्यौरे और उद्योग विभाग के पास उपलब्ध डाटा की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कालीकट और त्रिवेन्द्रम कमिश्नरी में विशिष्ट छूट सीमा पार करने

पर 73 यूनिटों द्वारा पंजीकरण नही करवाया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 2010-11/2011-12 के दौरान कोचीन, कालीकट और त्रिवेन्द्रम कमिश्नरियों में उर्वरक के विनिर्माण (1 मार्च 2011 से शुल्क योग्य) में लगी 37 यूनिटों द्वारा पंजीकरण नहीं करवाया गया था। यह भी देखा गया कि कोचीन कमिश्नरी में पेरम्बूर रेंज के क्षेत्राधिकार में प्लाईवुड विनिर्माताओं की 27 यूनिटों ने विभाग के पास पंजीकरण नहीं कराया था।

इसी प्रकार, विनिर्माताओं द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को प्रस्तुत किए गए वार्षिक टर्नओवर विवरण के साथ चेन्नई II कमिश्नरी[8] और चेन्नई IV कमीश्नरी[9] में चयनित रेंजो द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों की लेखापरीक्षा जांच औार उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलैक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली में सीबीईसी द्वारा प्रदान किए गए निर्धारिती मास्टर के साथ प्रति सत्यापन से पता चला कि वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमश: 56, 47 और 40 निर्धारितियों ने वाणिज्यिक कर विभाग के साथ पंजीकरण किया था किन्तु ₹ 1.50 के क्लीयरेंस के मूल्य की विशिष्ट छूट सीमा को पार करने के बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ पंजीकरण नहीं किया था।

उपरोक्त में से, अठारह निर्धारितियों ने अपने आप को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ पंजीकृत नहीं किया था जबकि सभी तीन वर्षों 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए उनका क्लीयरेंस का मूल्य ₹ 1.50 करोड़ पार कर गया था, जिससे कर आधार बढाने में विभाग की ढ़िलाई का पता चलता है।

जब हमने इसके बारे में बताया (जून 2015), मंत्रालय ने कुछ मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) और कुछ मामलों में अनियमितता नहीं होने की रिपोर्ट की। अधिकतर मामलों में जांच प्रगति पर है और मै. ज्यूस एग्रो सर्विसेस सेंटर, कोलम के मामले में ₹ 14.81 लाख की वसूली रिपोर्ट की।

ख) दिनांक 26 जून 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001/सीई(एनटी) 1 जुलाई 2001 ने इकाइयों को जिनका वार्षिक टर्न ओवर ₹ 90 लाख की विशिष्ट सीमा से कम हो विभाग में पंजीकरण से छूट प्रदान की। तथापि एक बार उनका क्लीयरेंस विनिर्दिष्ट सीमा में पहुंच जाए तो ऐसी यूनिटों से फार्म अनुबंध-5 में घोषणा दर्ज करना अपेक्षित है।

[8] पादी, अम्बत्तूर-II, रेंज-IV ए और रेंज-IV बी

[9] तिरूमुदिवक्कम-I और II, पेरूंगुदी और पालावक्कम

लेखापरीक्षा में, जैसा कि बिक्री कर विभाग से प्रति सत्यापित किया गया, नोएडा, लखनऊ, बेलापुर कमिश्नरी में घोषणा दर्ज न करने के आठ मामले पाए गए और अहमदाबाद-।। कमिश्नरी में गलत घोषणा के तीन मामले पाए गए थे।

जब हमने इस बारे में बताया (जून-जुलाई 2014) मंत्रालय ने आठ मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) और बताया कि एससीएन जारी किये जा रहे हैं। तीन मामलों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

2.6.2 विवरणियों का फाइल करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 में विभाग द्वारा विर्निदिष्ट फार्म में प्रत्येक निर्धारिती द्वारा विवरणियां फाईल करना अपेक्षित है। उपरोक्त नियमावली के नियम 12 का उप नियम 3, उचित अधिकारी द्वारा विवरणी की संवीक्षा करना निर्धारित करता है ताकि निर्धारिती द्वारा निर्धारित शुल्क की सटीकता सुनिश्चित हो सके। विवरणियों की संवीक्षा, गैर/विलम्बित फाइलरों की पहचान, और अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ करना विभाग के सांविधिक कार्य हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11एए के तहत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज उद्ग्राह्य है। सामान्यतया विवरणियों की विलम्बित प्रस्तुति या गैर प्रस्तुति के लिए नियम 27 के तहत पांच हजार रूपये तक की शास्ति लगाई जा सकती है।

2.6.2.1 ई आर-3 विवरणियों की गैर/विलम्बित फाइल करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 (1) में अनुंबधित है कि प्रत्येक एसएसआई यूनिट जो छूट का लाभ ले रही है, को ई-भुगतान के मामलों में तिमाही के अगले महीने की 6 तारीख तक मार्च को छोडकर (मार्च के लिए 31 मार्च) शुल्क का भुगतान करेगा और तिमाही की समाप्ति के बाद 10 दिनों के अन्दर त्रैमासिक विवरणी (फार्म ईआर-3) फाइल करेगा ताकि विभाग निर्धारिती से शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण को जांच सके। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 27 के अनुसार इन नियमों के उल्लंघन पर, जहां इसमें या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में कोई अन्य शास्ति प्रदान नहीं की गई हो तो, एक शास्ति के साथ दंडनीय है जो पांच हजार रूपये तक विस्तारित की जा सकती है।

चयनित 134 रेंजो से ई आर-3 विवरणियों के गैर/स्टाप फाइलरों और विलम्बित फाइलरों का विवरण प्राप्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एसएसआई यूनिटों द्वारा ईआर-3 विवरणियों के गैर फाइलिंग के 527 मामले और देरी से फाइलिंग के 1,790 मामले पाए। विभाग ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई शास्ति लगाई जो गैर फाइलिंग के मामले में ₹ 26.35 लाख तक और विवरणियों की देरी से फाइल किए गए विवरणियों के मामले में ₹ 89.50 लाख हो सकती थी। निगरानी तंत्र की ढिलाई के बारे में बताया गया था (सितम्बर 2014)।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितम्बर 2015) में अधिकांश मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा ₹ 4.10 लाख शास्ति के रूप में वसूली की सूचना दी।

2.6.2.2 ईआर-7 विवरणियों की गैर/विलम्बित फाइल करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 12 (2ए) (ए) में प्रावधान है कि छूट प्राप्त करने वाली प्रत्येक एसएसआई इकाई को विभाग द्वारा सटीकता का सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक फैक्टरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता की घोषणा करते हुए एक विवरण (फार्म ईआर-7) प्रस्तुत करना होगा ताकि निर्धारण, उत्पादन क्षमता, इलेक्ट्रिक लोड उपयोगिता आदि की सटीकता का सत्यापन किया जा सके। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 27 के अनुसार इस नियमों के उल्लंघन पर जहाँ इनमें अथवा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में किसी अन्य जुर्माने का प्रावधान न हो, तब पाँच हजार रूपये तक की शास्ति लगाई जा सकती है।

134 चयनित रेंजों से ईआर-7 विवरणी फाइल करने वाले गैर/स्टॉप फाइलरों और गैर विलम्बित फाइलरों का विवरण लिया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि विषयगत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एएएसआई इकाईयों द्वारा विलम्ब से ईआर-7 विवरणी दाखिल करने वाले 1,008 मामले और दाखिल न करने वाले 3,282 मामले थे। विभाग ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई शास्ति लगाई गई थी जो गैर-दाखिल विवरणी के मामले में ₹ 1.64 करोड़ और देर से विवरणी दाखिले के मामले में ₹ 50.40 लाख थी।

निगरानी तंत्र में ढिलाई को इंगित किया गया था (सितम्बर 2014)। मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितम्बर 2015) में अधिकांश मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया कि सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है और ₹ 6.04 लाख की शास्ति के रूप में वसूली सूचित की ।

2.6.3 ₹ 1.50 करोड़ की छूट सीमा पार करने पर शुल्क का गैर/कम भुगतान

एसएसआई योजना के तहत ऐसी इकाई जिसका पिछले वर्ष की निकासी का निवल मूल्य ₹ 4.00 करोड़ से कम था, वे ₹ 1.50 करोड़ तक शुल्क छूट की पात्र थीं बशर्ते कि इन्होंने सेनवैट क्रेडिट सुविधा न ली हो। इस अधिसूचना का लाभ लेने वाले निर्माता को लाभ लेने हेतु कुछ शर्तों को पूरा करना होगा तथा विनिर्मित वस्तुओं को इस अधिसूचना के तहत शामिल होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पांच कमिश्नरियों[10] में 21 मामलों में शुल्क का गैर/कम भुगतान देखा जहां निकासियां छूट सीमा पार कर गई थीं। ऐसे मामलों में भुगतान न की गई राशि ₹ 1.40 करोड़ थी जो ₹ 27.43 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

हमने जून-सितम्बर 2014 में इसे बताया। मंत्रालय ने सात मामलों में ₹ 18.51 लाख की वसूली की सूचना दी (सितम्बर 2015)। अन्य मामलों में मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा का मत है कि गैर पंजीकृत एसएसआई इकाईयों को कराधीन करने तथा समुचित रूप से विवरणी दाखिल करना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को कड़ा करने की आवश्यकता है।

2.7 छूट हेतु शर्तों को पूरा न करना

एसएसआई योजना के तहत, इकाई जिनका निकासी मूल्य पिछले वर्ष ₹ 4.00 करोड़ से कम था वह चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 1.50 करोड़ तक पूरी छूट की हकदार थी। ₹ 1.50 करोड़ की छूट सीमा की गणना हेतु कालानुक्रम आधार पर 1 अप्रैल से सभी निकासियों को लिया जाएगा।

2.7.1 छूट सीमा की गलत संगणना

निर्यात हेतु की गई निकासियाँ अगले वित्तीय वर्ष हेतु एसएसआई छूट की अर्हता का निर्धारण करने के उद्देश्य से ₹ 4.00 करोड़ के कारोबार में शामिल नहीं हैं। फैक्ट्री से वस्तुओं के निर्यात के मामले में विनिर्माता को विभाग से वस्तुओं के निर्यात की अनुमति मांगते हुए एआरई-I फार्म में एक आवेदन देना होगा। जहां विनिर्माता स्वयं की बजाए व्यापारी-निर्यातक के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात करता है तो वहां विनिर्माता, निर्यात हेतु वस्तुओं की

[10] चेन्नई II, कोयम्बटूर, कोचीन, चंडीगढ़ । और कालीकट

वास्तविक निकासी दर्शाते हुए व्यापारी-निर्यातक से सीटी-3 प्रमाणपत्र की एक प्रति लेगा।

दो कमिश्नरियों[11] में तीन मामलों में छूट सीमा की गलत संगणना के दृटान्त देखे गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.31 लाख की अधिक छूट दी गई। एक निदर्शी मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

बैंग्लुरू-I कमिश्नरी में मै. शिवनगरी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान निर्यातोन्मुख इकाईयों को दी गई वस्तुओं पर छूट का दावा किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि निर्धारित सीटी-3 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना छूट का दावा किया गया था। यदि छूट देने से मना कर दिया जाता तो निर्धारिती द्वारा की गई निकासियों का कुल मूल्य आगामी वर्षों के दौरान छूट सीमा से अधिक हो जाता। अत: निर्धारिती एसएसआई श्रेणी के तहत नहीं आता और लागू ब्याज के साथ-साथ ₹ 10.84 लाख के शुल्क भुगतान करने का दायी होता।

जब हमने इसे बताया (जून-सितम्बर 2014), मंत्रालय ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और सभी मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई के शुरू होने तथा ₹ 0.73 लाख की वसूली की सूचना दी।

2.7.2 एसएसआई छूट का गलत लाभ

अधिसूचना में निहित छूट उन्हीं शर्तों के अध्यधीन लागू होंगी जब एक या अधिक फैक्ट्रियों से विनिर्माता द्वारा अथवा एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा एक फैक्ट्री से घरेलू खपत के लिए सभी उत्पादयोग्य माल की निकासी का कुल मूल्य आगामी वर्ष में चार सौ लाख रूपये से अधिक न हों। छूट का अनुचित लाभ लेने के दृष्टान्त आठ कमिश्नरियों[12] में 11 मामलों में देखे गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.83 करोड़ के अधिक छूट का लाभ लिया गया। नीचे कुछ मामलों पर चर्चा की गई है:

क) चेन्नई IV कमिश्नरी में मै. टेक्निको लेबोरेटरी ग्लासवर्क्स ने 2013-14 के दौरान ₹ 1.50 करोड़ की पहली निकासी पर शुल्क छूट लिया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि निर्यात के अलावा शुल्क के शून्य दर पर निकासी किए गए माल के मूल्य सहित माल की कुल निकासी पिछले वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 4.00 करोड़ अधिक थी। शुल्क छूट के गलत लाभ की राशि ₹ 3.09 लाख थी।

---

[11] दिल्ली I और बैंगलुरू II

[12] चंडीगढ़ I, चेन्नई IV, कोचीन, फारीदाबाद, नोएडा, जयपुर I, ठाणे I और कोलकाता II

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और ब्याज सहित ₹ 3.65 लाख की वसूली की सूचना दी।

ख) चंडीगढ़-I कमिश्नरी, मोहाली में मै. बी.एम. पैकेजिंग मशीन, साबुन पैकिंग मशीन बनाने वाली एक एसएसआई इकाई के पास मोहाली और बद्दी (एच.पी.) में दो और इकाईयां थीं। सभी तीन इकाईयों की निकासी का कुल मूल्य 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमश: ₹ 4.32 करोड़ और ₹ 6.39 करोड़ था। हालांकि निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान एसएसआई छूट का लाभ लिया। इस प्रकार ₹ 37.08 लाख के शुल्क छूट का गलत लाभ लिया गया।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और बताया कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि शामिल करते हुए ₹ 88.83 लाख के लिए एससीएन जारी कर दिया गया है।

ग) फारीदाबाद कमिश्नरी में मोटर वाहन पुर्जे बनाने और तैयार करने वाली मै. एमजेआर कंपोनेंट्स प्रा. लि. ने वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमश: ₹ 15.35 लाख, ₹ 18.04 लाख और ₹ 18.21 लाख की एसएसआई छूट ली। निर्धारिती के पास मै. नेहरा मेटल कंपोनेंट प्रा. लि., फरीदाबाद में इसी प्रबंधन के तहत दूसरी इकाई थी। दोनों इकाईयों की निकासी का कुल मूल्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 4.00 करोड़ से अधिक हो गया। इसलिए ₹ 51.60 लाख की शुल्क छूट सही नहीं थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

घ) नोएडा कमिश्नरी में मै. डीएनबी इंडस्ट्रियल सिस्टम्स प्रा. लि. के पास नोएडा में दो इकाइयॉं थी। वर्ष 2011-12 के तुलन-पत्र के अनुसार दोनों इकाईयों का कुल कारोबार ₹ 4.12 करोड़ था। हालांकि निर्धारिती ने 2012-13 के दौरान ₹ 18.54 लाख की एसएसआई छूट ली, जो गलत था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

जब हमने इस बारे में बताया (जून-अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने ₹ 93.80 लाख वाले राजस्व के पांच मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और ₹ 4.01 लाख की वसूली की सूचना दी। शेष छ: मामलों में मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

2.8 सेनवेट क्रेडिट

2.8.1 सेनवेट क्रेडिट का गलत लेना या उपयोग

हमने 20 कमिश्नरियों[13] में ₹ 1.16 करोड़ राशि तक सेनवैट क्रेडिट का गलत लेना/उपयोग, सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी, अवैध दस्तावेजों आदि पर सेनवेट क्रेडिट लेने के 74 दृष्टान्त देखे। मंत्रालय ने ₹ 1.02 करोड़ राजस्व वाले 65 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और ₹ 53.26 लाख की वसूली की सूचना दी। कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 11(2) की शर्तों के अनुसार एक विनिर्माता एक वित्तीय वर्ष में निकासी की मात्रा या मूल्य के आधार पर अधिसूचना के तहत माल पर उद्ग्रहणयोग्य सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट का विकल्प देता है और ऐसे विकल्प से पूर्व इनपुट या इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट लेता है तो उसे ऐसा लाभ लेने की तिथि पर स्टॉक में पड़े तैयार उत्पादों में निहित या प्रक्रियाधीन अथवा स्टॉक में पड़े इनपुट के संबंध में सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान उक्त राशि से कटौती के पश्चात करना होगा, अधिशेष यदि अभी भी कोई हो तो वह समाप्त माना जाएगा।

क) ठाणे-I कमिश्नरी में मै. वेस्टर्न मेटाफ्लक्स प्रा. लि. ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान एसएसआई छूट का लाभ लिया और निर्धारित छूट सीमा पार करते हुए शुल्क छूट के भुगतान हेतु सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया। इनपुट सेनवेट क्रेडिट रजिस्टर और 2011-12 के तद्रुरूपी बीजकों से यह देखा गया कि निर्धारिती ने 31 मार्च 2012 तक स्टॉक में पड़े इनपुट के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया और इसका उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, तुलन-पत्र के अनुसार, 31 मार्च 2012 तक स्टॉक मे पड़े इनपुट का मूल्य ₹ 16.89 लाख था। हालांकि, निर्धारिती ने इन इनपुट पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर की राशि का भुगतान नहीं किया था। वर्ष 2013-14 के लिए भी समान आपत्ति पाई गई थी।

जब हमने इसके बारे में बताया (मई 2014), कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (मई 2014) और वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिए ₹ 1.18 लाख की वसूली की सूचना दी।

---

[13] बैंगलुरू I, बैंगलुरू II, बेलापुर, कालीकट, चंडीगढ़ I, दमन, दिल्ली I, गुवाहाटी, कोलकाता III, कोलकाता V, नोएडा, पुणे I, रायपुर, राजकोट, ठाणे I, अहमदाबाद II, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, कोयम्बटूर और जयपुर I

ख) गुवाहाटी कमिश्नरी में मै. सत्यम एनई वायर प्रोडक्ट्स लि. ने वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान एसएसआई छूट ली और अनुमत छूट सीमा ₹ 3.97 लाख और ₹ 8.16 लाख को पार करते हुए शुल्क के भुगतान हेतु सेनवेट सुविधा का लाभ लिया। 31 मार्च 2012 तक, इनपुट प्रगतिशील कार्य (डब्ल्यूआईपी) और स्टॉक में पड़े तैयार माल के संबंध में वापस किया जाने वाला सेनवेट क्रेडिट ₹ 12.36 लाख था जिसके प्रति निर्धारिती के सेनवेट खाते में उपलब्ध क्रेडिट ₹ 8.38 लाख था। इसी प्रकार 31 मार्च 2013 को वापस किया जाने वाला सेनवेट क्रेडिट ₹ 9.02 लाख था, जबकि निर्धारिती के सेनवेट खाते में उपलब्ध क्रेडिट केवल ₹ 0.86 लाख था। इस प्रकार वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए सेनवेट की कम वापसी हुई।

जब हमने इसके बारे में बताया (सितम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2014) कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया है।

ग) सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5) के प्रावधान के अनुसार, यदि पूँजीगत माल जिन पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, प्रयोग करने के बाद हटा दिया जाता हैं तो विनिर्माता को सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से प्रत्येक वर्ष की तिमाही या इसके भाग के लिए सीधी प्रणाली द्वारा गणना किए गए प्रतिशतता बिंदुओं तक घटाकर उक्त पूँजीगत माल पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

कोचीन कमिश्नरी में मै. डोबरसन प्रोडक्ट्स प्रा. लि., सीमेंट ईट विनिर्माता के सेनवेट अभिलेखों की संवीक्षा पर लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने दिसम्बर 2010 में ₹ 48.67 लाख के पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट लिया। उन्होंने मार्च और अप्रैल 2013 के दौरान कुछ पूँजीगत माल को हटा दिया और ₹ 24.71 लाख की वास्तविक राशि के प्रति ₹ 16.64 लाख का क्रेडिट वापस किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.07 लाख के सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी हुई।

जब हमने इसे बताया (जून 2014), मंत्रालय ने ₹ 8.07 लाख के सेनवेट क्रेडिट की वापसी (अगस्त 2014) की सूचना दी (सितम्बर 2014)।

2.9 अन्य विषय

2.9.1 विविध मामले

हमने कई कारणों जैसे-शुल्क निर्धारित किन्तु गैर भुगतान, ईआर-3 विवरणी में अदा की गई राशि और निर्धारिती के सेनवेट खाते/पीएलए खाते में अंतर, नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) साइट पर चालान

विवरणों की अनुपलब्धता, निर्यात की विनिर्दिष्ट शर्तों का पूरा न करना, शुल्क के गलत दर, निर्धारणीय मूल्य में अतिरिक्त प्रभार शामिल न करने, संबंधित व्यक्ति को निकासी के कारण कम निर्धारण, इनपुट की ऐसे ही निकासी पर अतिरिक्त शुल्क के गैर-भुगतान, डेबिट नोट मूल्य इत्यादि को शामिल न करने के कारण 16 कमिश्नरियों[14] में 36 मामलों में शुल्क के कम/गैर-भुगतान, ब्याज के कम भुगतान वाले मामलें देखे। इन मामलों में निहित शुल्क ₹ 1.21 करोड़ था।

जब हमने जून-सितम्बर 2014 में इसे बताया, मंत्रालय ने ₹ 91.73 लाख के राजस्व वाले 24 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) लिया और ₹ 61.35 लाख की वसूली की सूचना दी। बाकी मामलों में हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2015)।

2.9.2 अधिसूचना में कमी

(i) इस तथ्य के निरपेक्ष कि निकासी उनकी अपनी/अनब्रैंडेड माल या ब्रैंड नाम वाले माल है अथवा अन्य व्यक्ति के व्यापार नाम से हैं, एसएसआई योजना में ग्रामीण एसएसआई इकाई को निकासी पर ₹ 1.50 करोड़ तक के शुल्क छूट का लाभ दिया गया है। लेकिन शहरी एसएसआई इकाई के लिए शुल्क छूट लाभ केवल स्वयं के अनब्रैंडेड माल की निकासी पर दिया गया है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में एसएसआई इकाई को बढ़ावा दिया गया। हालांकि, अगले वर्ष एसएसआई लाभ देने के लिए ₹ 4.00 करोड़ की पात्रता सीमा निर्धारित करने हेतु ग्रामीण एसएसआई इकाई द्वारा की गई सभी निकासियों का मूल्य ध्यान में रखा जाता है जबकि शहरी एसएसआई इकाई के मामले में केवल स्वयं/अनब्रैंडेड माल की निकासी के मूल्य पर ध्यान दिया जाता है। इससे ग्रामीण एसएसआई इकाई, शहरी एसएसआई इकाइयों की तुलना में निरंतर एसएसआई लाभ लेने की पात्रता को अलाभकारी स्थिति में होती है।

चेन्नई - IV कमिश्नरी में शहरी क्षेत्र में स्थित एक एसएसआई इकाई, मै. टैनमेड फार्मास्यूटिकल्स वर्ष 2012-13 में अपने ब्रैंड नाम वाली और अन्य ब्रैंड वाली ₹ 1.01 करोड़ (अपनी ब्रैंड) और ₹ 27.66 करोड़ (अन्य ब्रैंड) और वर्ष 2013-14 में ₹ 1.26 करोड़ (अपनी ब्रैंड) और ₹ 31.57 करोड़ (अन्य ब्रैंड) के मूल्य के माल की निकासी की। 2012-13 और 2013-14 के दौरान उनकी स्वयं के माल का मूल्य ₹ 4.00 करोड़ से कम था, निर्धारिती ने बाद के वर्षों 2013-14 एवं 2014-15 में एसएसआई छूट लेना जारी रखा जबकि वर्ष 2012-

[14] अहमदाबाद II, दमन, बैंगलुरू II, बैंगलुरू III, चेन्नई II, चेन्नई IV, कोचीन, कालीकट, दिल्ली I, कोलकाता V, गुवाहाटी, कोलकाता III, नोएडा, लखनऊ, ठाणे I और जयपुर

13 और 2013-14 में घरेलु निकासियों का कुल मूल्य क्रमश: ₹ 28.68 करोड़ और ₹ 32.83 करोड़ था।

तथापि, लेखापरीक्षा का मत है कि यदि एसएसआई इकाई ग्रामीण क्षेत्र में होती तो वह 2013-14 के दौरान एसएसआई छूट का पात्र नहीं होती क्योंकि पिछले वर्ष का कुल मूल्य ₹ 4.00 करोड़ से अधिक हो गया था और ₹ 1.26 करोड़ के अपने ब्रैंड के तहत निकासी किए गए कुल निर्धारणीय मूल्य माल पर ₹ 15.64 लाख का देय शुल्क बनता। एसएसआई अधिसूचना का लाभ लेने हेतु ₹ 4.00 करोड़ की निर्धारित सीमा की गणना हेतु ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्मित ब्रैंडेड माल की निकासी के मूल्य को शामिल करके ग्रामीण क्षेत्र की एसएसआई इकाईयों को अलाभकारी स्थिति में ला दिया जिससे उन्हें एसएसआई स्थिति की हानि होगी यदि ब्रांडेड तथा गैर-ब्रांडेड दोनों माल का मूल्य ₹ 4.00 करोड़ से अधिक हो जाये। अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता है ताकि ब्रांडेड माल बनाने वाले शहरी क्षेत्र के विनिर्माता के साथ सममूल्य पर ₹ 1.50 करोड़ के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में एसएसआई विनिर्माता द्वारा बनाई गई ब्रांडेड माल की निकासी के मूल्य को अलग किया जा सके।

जब हमने इसे बताया (जून 2015), मंत्रालय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (सितम्बर 2015) कि अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता है ताकि ब्रांडेड माल बनाने वाले शहरी क्षेत्र के विनिर्माता के साथ सममूल्य पर ₹ 1.50 करोड़ के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में एसएसआई विनिर्माता द्वारा बनाई गई ब्रांडेड माल की निकासी के मूल्य को अलग किया जा सके।

मंत्रालय इस विसंगति को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई से अवगत कराए।

(ii) एसएसआई योजना के तहत एक एसएसआई विनिर्माता, घरेलू खपत हेतु पहली निकासी की ₹ 1.50 करोड़ तक की विनिर्दिष्ट माल की निकासी के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर प्रदत्त शुल्क का क्रेडिट लेने का हकदार नहीं है। हालांकि अधिसूचना में पहली निकासी की ₹ 1.50 करोड़ तक की विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं की मंजूरी पर सेनवेट क्रेडिट लेने का प्रतिबंध नहीं है। सेनवेट क्रेडिट में विसंगति में सुधार की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच कमिश्नरियों[15] में 12 निर्धारितियों ने 2011-12 से 2013-14 तक ₹ 16.50 लाख की इनपुट सेवा पर सेनवेट तथा ₹ 1.50 करोड़

[15] नोएडा, रॉची, गुवाहाटी, पुणे । और बैंगलुरू ॥

की घरेलू खपत के कुल मूल्य तक पहली निकासी पर शुल्क छूट, दोनों का लाभ लिया था, जो एसएसआई विनिर्माताओं को अनुचित लाभ है।

जब हमने इसे बताया (जून 2015), मंत्रालय ने ₹ 3.34 लाख के राजस्व वाले सात मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और ₹ 3.09 लाख की वसूली की सूचना दी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने पांच मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की। इस प्रकार, विभिन्न मामलों में समान मुद्दे पर मंत्रालय का उत्तर संगत नहीं है। मंत्रालय को विसंगति दूर करने की आवश्यकता है।

2.10 निष्कर्ष

सभी पंजीकृत एसएसआई इकाईयां एसएसआई छूट का लाभ नहीं ले रही हैं क्योंकि मध्यवर्ती माल के निर्माताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। शहरी एसएसआई इकाईयों की तुलना में ग्रामीण एसएसआई इकाईयाँ नुकसान की स्थिति में हैं। योजना के प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करके इन मामलों के समाधान की आवश्यकता है।